प्रकरण संख्या :– 113/2017 प्रा.पत्र

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता रामेश्वरलाल दर्जी निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. कमलेश पिता रामेश्वरलाल दर्जी निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. विमला पुत्री रामेश्वरलाल दर्जी निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. लाड पुत्री रामेश्वरलाल दर्जी निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. मुन्नी देवी पत्नि रामेश्वरलाल दर्जी निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहन पिता हेमा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. रामा पिता डुंगा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा **(डिलीट)**
3. चांदी पिता लुणा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. डाली पिता लुणा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. गुलाबी बेवा लुणा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. रतनलाल पिता मोडा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. रोशनलाल पिता मोडा रेगर निवासी पोंटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः–31.10.2017

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 2302 रकबा 0.18 हे0, 2303 रकबा 0.38 हे0, आराजी न0 2304 रकबा 0.12 हे0, आराजी न0 2305 रकबा 0.15 हे0 आराजी न0 2306 रकबा 0.18 हे0, आराजी न0 2307 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 1357 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु वह बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 एवं 3 से 7 बाद तामील अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन बार आवाजे लगायी गयी वह बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी वकिल द्वारा विपक्षीगण 2 का नाम डिलीट किये जाने की प्रार्थना की गई। विपक्षी संख्या 2 का नाम डिलीट किया जाता है। प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की आराजी नम्बर 2302 रकबा 0.18 हे0, व 2303 रकबा 0.38 हे0, आराजी न0 2304 रकबा 0.12 हे0, आराजी न0 2305 रकबा 0.15 हे0 आराजी न0 2306 रकबा 0.18 हे0, आराजी न0 2307 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि की कब्जे को यथावत् रखते हुए बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1000/– (एक हजार रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1000/– (एक हजार रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खले न्यायालय में सनाया गया।